न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
पीठासीन न्यायाधीश– संतोष कुमार तिवारी
सत्र प्रकरण कमांक-121/2025, सी0आई0एस0 – 121/2025
सी0एन0आर कमांक– : BRSP01-002861-2025

FORM A

IN THE COURT OF PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE, SHEIKHPURA DISTRICT- SHEIKHPURA,(BIHAR) न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला–शेखपुरा,(बिहार) पीठासीन न्यायाधीश – संतोष कुमार तिवारी निर्णय की तिथि– 03–08–2026 सत्र प्रकरण कमांक- 121/2025 सी0आई0एस0 – 121/2025 सी0एन0आर कमांक– : BRSP01-002861-2025 (थाना कारण्डे के अपराध कमांक 11/24 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम शेखपुरा द्वारा पारित सुपुर्दगी आदेश दिनांक 27.03.2025 से उत्पन्न मामला)	
अभियोजक	बिहार राज्य
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री उदय नारायण सिन्हा, लोक अभियोजक, शेखपुरा।
अभियुक्तगण का नाम	1. दिलखुश पाण्डेय, वल्द–रंजय पाण्डेय, उम्र–24 वर्ष। 2. लवकुश पाण्डेय, वल्द–रंजय पाण्डेय, उम्र–26 वर्ष। 3. रंजय पाण्डेय, वल्द–नवल पाण्डेय, उम्र–50 वर्ष। सा0–कारण्डे, थाना–कारण्डे, जिला–शेखपुरा।
अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता	श्री मनोज कुमार।

FORM B

घटना की तिथि	04.02.2024
प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि	07.02.2024
आरोप पत्र की तिथि	02.07.2024
आरोप गठन की तिथि	24.06.2025
साक्ष्य आरंभ की तिथि	23.08.2025
निर्णय निर्धारण की तिथि	20.07.2026
निर्णय की तिथि	03.08.2026
दंडादेश की तिथि, यदि कोई हो	——————

न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
पीठासीन न्यायाधीश– संतोष कुमार तिवारी
सत्र प्रकरण कमांक-121/2025, सी0आई0एस0 – 121/2025
सी0एन0आर कमांक– : BRSP01-002861-2025

अभियुक्तगण का विवरणः–

क्र म सं0	अभियुक्तगण का नाम	गिरफ्तारी / आत्मसमर्पण की तिथि	जमानत पर मुक्ति की तिथि	आरोपित धाराएँ	दोषसिद्ध अथवा दोषमुक्त	आरोपित दंड	दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के उद्देश्य हेतु विचारण के दौरान कारा में बिताई गई अवधि
1.	दिलखुश पाण्डेय	08.04.2024	08.04.2024	**धारा– 341 / 34, 323 / 34, 307 / 34, 325 / 34, भा0 द0 सं0**	**दोषमुक्त**	----	----
2.	लवकुश पाण्डेय	08.04.2024	08.04.2024	**धारा– 341 / 34, 323 / 34, 307 / 34, 325 / 34, भा0 द0 सं0**	**दोषमुक्त**		
3.	रंजय पाण्डेय	08.04.2024	08.04.2024	**धारा– 341 / 34, 323 / 34, 307 / 34, 325 / 34, भा0 द0 सं0**	**दोषमुक्त**		

<u>निर्णय</u>

(1). अभियुक्तगण दिलखुश पाण्डेय, लवकुश पाण्डेय और रंजय पाण्डेय का धारा–341 / 34, 323 / 34, 307 / 34 एवं 325 / 34 भा0 द0 सं0 के तहत अपराध के आरोप के लिए विचारण किया गया।

(2). अभियोजन का कथानक संक्षिप्त रूप में इस प्रकार है कि दिनांक 07.02.2024 को सूचक मुन्ना सिंह द्वारा थाना करण्डे जिला–शेखपुरा में यह लिखित रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि सूचक दिनांक 04.02.2024 को अपने ई रिक्सा गाडी न0 BR52ER0683 चेवाडा से करण्डे 01:30 बजे दोपहर में पहुँचा वहॉ करण्डे निवासी रंजय पाण्डेय, दिलखुश पाण्डेय तथा लवकुश पाण्डेय पहले से मौजूद थे। दिलखुश पाण्डेय के हाथ में लोहे का रड एवं लवकुश पाण्डेय के हाथ में लोहे का खंती और रंजय पाण्डेय के हाथ में लाठी थी। दिलखुश पाण्डेय लोहे के रड से सूचक के कमर एवं पैर के घुटने पर प्रहार किया, जिससे सूचक जमीन पर गिर गया तब लवकुश पाण्डेय, रंजय पाण्डेय और दिलखुश पाण्डेय सभी मिलकर सूचक को लोहे का रड और लाठी से

मारपीट किये, जिससे सूचक के बॉये पैर के घुटना टूट गया, ललाट फट गया तथा शरीर के अन्य हिस्सों में अन्दरूनी चोट लगी। चोट लगने के कारण सूचक स्वयं उठने में असमर्थ हो गया। सूचक के आवाज देने पर उसका पुत्र रौशन आया तो सभी अभियुक्तगण ने सूचक के पुत्र पर प्रहार किया। अभियुक्तगण सूचक के पॉकेट से दो हजार रूपए तथा सूचक के गले से सोने के बजरंगबली का लॉकेट निकाल लिए। उसके बाद सूचक के ईलाज कराने के लिए पहले चेवाड अस्पताल ले जाया गया तदोपरांत शेखपुरा सदर अस्पताल में एक्स–रे करने के बाद वहॉ के चिकित्सक द्वारा कहा गया कि टूट गया है। चिकित्सक द्वारा ऑपरेशन करने का सलाह दिया गया। उसके बाद सूचक को जमुई के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहॉ उसका ईलाज हुआ।

सूचक की उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण दिलखुश पाण्डेय, लवकुश पाण्डेय और रंजय पाण्डेय के विरूद्ध थाना कारण्डे के अपराध कमांक 11/2024 धारा–341,323,325,307,379 एवं 34 भा0 द0 सं0 के तहत प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कर अन्वेषण प्रारंभ किया गया।

अन्वेषण के दौरान घटना स्थल निरीक्षण किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए और अन्वेषणोपरांत अन्वेषण अधिकारी द्वारा नामजद अभियुक्तगण दिलखुश पाण्डेय, लवकुश पाण्डेय और रंजय पाण्डेय के विरूद्ध धारा–341,323,325,307 एवं 34 भा0 द0 सं0 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम शेखपुरा, जिला–शेखपुरा न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.07.2024 को आरोप पत्र कमांक 46/2024 प्रस्तुत किया गया।

(3). उक्त आरोप पत्र के आधार पर दिनांक 02.07.2024 का न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम जिला–शेखपुरा द्वारा अपराध का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तगण दिलखुश पाण्डेय, लवकुश पाण्डेय और रंजय पाण्डेय के विरूद्ध धारा–341,323,325,307 एवं 34 भा0 द0 सं0 के तहत अपराध के विचारण हेतु अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की गयी और मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से दिनांक 27.03.2025 को पारित आदेश द्वारा मामले को सत्र न्यायालय के समक्ष सुपुर्द किया गया।

(4). अभियुक्तगण दिलखुश पाण्डेय, लवकुश पाण्डेय और रंजय पाण्डेय के विरूद्ध दिनांक 24.06.2025 को धारा– 341/34, 323/34, 307/34 एवं 325/34 भा0 द0 सं0 के अंतर्गत आरोप गठित कर उन्हें हिन्दी में पढकर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण द्वारा सभी आरोपों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया गया, जिसके परिणामस्वरूप विचारण की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
पीठासीन न्यायाधीश– संतोष कुमार तिवारी
सत्र प्रकरण कमांक-121/2025, सी0आई0एस0 – 121/2025
सी0एन0आर कमांक– : BRSP01-002861-2025

(5). अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात् दिनांक 21.05.2026 को इस सत्र विचारण के अभियुक्तगण दिलखुश पाण्डेय, लवकुश पाण्डेय और रंजय पाण्डेय का धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परीक्षण कर उनका कथन लेखबद्ध किया गया। अभियुक्तगण द्वारा उन्हें झूठा फॅसाने की बात कही गयी। अभियुक्तगण द्वारा बचाव में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया।

(6). इस प्रकार इस सत्र विचारण में न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण दिलखुश पाण्डेय, लवकुश पाण्डेय और रंजय पाण्डेय के विरूद्ध आरोपित आरोपों को साबित करने में सफल रहा है।

विनिश्चय Finding

(7). इस सत्र विचारण में अभियोजन पक्ष द्वारा मात्र दो अभियोजन साक्षियों, अभियोजन साक्षी संख्या–01, मुन्ना सिंह और अभियोजन साक्षी सं0–02, सुधा देवी उर्फ सावित्री देवी का न्यायालय के समक्ष परीक्षण कराया गया है, और दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु थाने में प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट पर सूचक मुन्ना सिंह के हस्ताक्षर को प्रदर्श–1 और समझौता प्रपत्र को प्रदर्श–D1 के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित कराया गया है।

(8). अभियोजन साक्षी संख्या–1 मुन्ना सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि मैं इस केस का सूचक हूॅ। आज से करीब डेढ़ वर्ष पूर्व करीब बारह बजे दिन की घटना है। उस समय मैं इ–रिक्शा चला रहा था। गाड़ी पर बैठे एक यात्री रंजय पाण्डेय के साथ मेरी बाताबाती हुई, रंजय पाण्डेय, और एक अन्य व्यक्ति मुझे धकेल दिया और मेरे साथ मारपीट किया। मुझे चोट लगी, मेरा इलाज जमुई के अस्पताल में हुआ। पहले मेरा इलाज चेवाडा अस्पताल में हुआ, वहॉ से मुझे शेखपुरा भेजा गया, फिर मैंने जमुई में अपना इलाज करवाया। घटना का लिखित आवेदन मैंने किसी बाहरी व्यक्ति से लिखवाया था, जो मुझे पढ़कर सुनाया गया, जिसे सही पाकर मैंने अपना हस्ताक्षर किया। साक्षी के पहचान पर आवेदन पर अंकित इनके हस्ताक्षर को प्रदर्श P-1 अंकित किया जाता है। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त रंजय पाण्डेय, एवं अन्य दो व्यक्ति जिनका नाम मैं नहीं जानता हूॅ, यही लोग उक्त घटना में मेरे साथ धक्का मुक्की किये थे।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि सभी अभियुक्त मेरे गॉव के ही निवासी है। अभियुक्तों द्वारा मेरे साथ किसी प्रकार की मारपीट नहीं की गयी, सड़क पर गिर जाने के कारण मुझे चोटे आयी थी। मेरे घुटने एवं ललाट पर साधारण चोटें आयी थी। अभियुक्तों के साथ मैंने स्वेच्छा से राजी खुशी से सुलह समझौता कर

लिया है और अब इस मामले को आगे नहीं चलाना चाहता हूँ। अभियुक्तों के साथ मैंने समझौता कर आज समझौता प्रपत्र न्यायालय के समक्ष दाखिल किया हूँ। साक्षी के पहचान पर सुलहनामा प्रपत्र पर उसके हस्ताक्षर को प्रदर्श D-1 अंकित किया गया।

(9). अभियोजन साक्षी संख्या–02 सुधा देवी उर्फ सावित्री देवी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि आज से करीब एक साल से कुछ ज्यादा पूर्व की घटना है। उस समय मैं अपने घर में थी। मैं घटना के बारें में केवल सुना था, मैं नहीं जानती कि क्या घटना हुई थी। पुलिस ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था।

इस साक्षी द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन नहीं करने पर अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय की अनुमति से उससे सूचक प्रश्न पूछे गए है, जिसमें इस साक्षी ने कहा है कि यह कहना गलत है कि मैंने सभी अभियुक्तों की पहचान करते हुए पुलिस को यह बयान दिया था कि दिनांक 04.02.2024 को मेरे पति मुन्ना सिंह को अभियुक्त रंजय पाण्डेय, लवकुश पाण्डेय एवं दिलखुश पाण्डेय सभी मिलकर लोहे के रड से मारकर पैर तोड़ दिया थे और उनके पॉकेट से 2000– रूपये और उनके गले से हनुमान जी का लॉकेट निकाल लिये थे। यह कहना गलत है कि मैं अभियुक्तों के मेल में आकर सत्य को छिपा रहीं हूँ।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि मैंने स्वेच्छा से अपना साक्ष्य दिया है।

(10). उपरोक्त साक्ष्यों के प्रकाश में यह तथ्य विचारणीय है कि अभियुक्तों के विरूद्ध लगाए गए आरोप उचित संदेह से परे साबित हुए है या नहीं।

(11). विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क/बहस के दौरान यह निवेदन किया गया कि इस मामले में अभियोजन की ओर से परीक्षित एकमात्र आहत साक्षी अभियोजन साक्षी संख्या–1 मुन्ना सिंह द्वारा परीक्षण के दौरान मुख्य परीक्षण में अभियोजन मामले का समर्थन किया गया है।

इस साक्षी के साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरूद्ध धारा–323/34 भा0द0सं0 के अपराध को प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है।

उपरोक्त आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा विचाराधीन अभियुक्तों के विरूद्ध धारा–323 सहपठित धारा–34 भा0द0सं0 से दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया है।

(12). बचाव पक्ष/अभियुक्तों के अधिवक्ता द्वारा तर्क/बहस के दौरान यह निवेदन किया गया है कि इस मामले में अभियोजन की ओर से परीक्षित कराए गए अभियोजन साक्षी संख्या–2 सुधा देवी उर्फ सावित्री देवी द्वारा साक्ष्य के दौरान अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया है।

यद्यपि की अभियोजन साक्षी संख्या–1 मुन्ना सिंह द्वारा मुख्य परीक्षण में अभियुक्त रंजय पाण्डेय के साथ धक्का–मुक्की की बात कही गई थी।

परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान कंडिका–5 में आए तथ्यों से मुख्य परीक्षण में इस साक्षी द्वारा अभियुक्त रंजय पाण्डेय के साथ मारपीट किए जाने के संबंध में कही गई बात खंडित होकर अविश्वसनीय हो गयी है।

मामले को प्रमाणित करने हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा अन्य किसी भी प्रकार का साक्ष्य अभिलेख पर नहीं लाया गया है। मामले की प्राथमिकी दो दिन के विलंब से दाखिल की गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

इस प्रकार अभियोजन पक्ष इस मामले के विचाराधीन अभियुक्तों के विरूद्ध आरोपित अपराधों को साबित करने हेतु किसी प्रकार की सुसंगत सामग्री विचारण के दौरान अभिलेख पर लाने में पूर्णतः विफल रहा है।

उक्त आधार पर अभियुक्तों के अधिवक्ता द्वारा उन्हें सभी आरोपों से दोषमुक्त करने का निवेदन किया गया।

(13). उभयपक्ष की तरफ से किए गए उपरोक्त तर्क/बहस के आलोक में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का विश्लेषण किया जा रहा है।

(14). अभियुक्तगण रंजय पाण्डेय, लवकुश पाण्डेय और दिलखुश पाण्डेय के विरूद्ध इस मामले के सूचक सह एकमात्र जख्मी साक्षी मुन्ना सिंह के साथ मारपीट कर उसकी हत्या करने के प्रयास सहित अन्य अपराधों के लिए धारा–341/34, 323/34, 307/34 एवं 325/34, भा0 द0 सं0 के तहत आरोप गठित कर विचारण की कार्यवाही की गई है।

उक्त आरोपों को प्रमाणित करने हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण के दौरान कुल दो अभियोजन साक्षियों का परीक्षण कराया गया है, जिसमें से अभियोजन साक्षी संख्या–1 मुन्ना सिंह इस मामले के सूचक सह एकमात्र जख्मी साक्षी है। अभियोजन साक्षी संख्या–2 सुधा देवी उर्फ सावित्री देवी जख्मी साक्षी मुन्ना सिंह की पत्नी है।

अभियोजन साक्षी संख्या–2 सुधा देवी उर्फ सावित्री देवी द्वारा मुख्य परीक्षण के दौरान अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं किया गया है। इस साक्षी द्वारा केवल यह तथ्य प्रकट

किया गया है कि घटना के समय वह अपने घर में थी और घटना के बारे में केवल सुनी थी, इसलिए उसे जानकारी नहीं है क्या घटना घटित हुई थी। इस साक्षी द्वारा घटना के संबंध में पुलिस को बयान देने के तथ्य से भी इंकार किया गया है। घटना के विषय में किससे सुनी यह बात भी उसके द्वारा नहीं कही गयी है।

इस साक्षी द्वारा अभियोजन मामले के समर्थन न किए जाने की दशा में लोक अभियोजक द्वारा अभियोजन मामले के समर्थन में इस साक्षी को अनेकानेक सुझाव दिए गए है, जिसमें इस साक्षी द्वारा अभियोजन की तरफ से अभियोजन मामले के समर्थन में सुझाए गए प्रत्येक सुझाव एवं तथ्य को अस्वीकृत करते हुए नकात्मक जबाव दिया गया है।

इस प्रकार इस साक्षी के न्यायालयीन साक्ष्य से अभियुक्तों के विरूद्ध आरोपित अपराधों या अभियोजन मामले के कथानक को प्रमाणित करने हेतु किसी भी प्रकार का साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं हो पाया है।

अभियोजन साक्षी संख्या–1 मुन्ना सिंह इस मामले के सूचक एवं अभियोजन के कथानक के अनुसार घटना का एकमात्र आहत/जख्मी साक्षी है। इस साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षण में यह तथ्य प्रकट किया गया है कि घटना लगभग एक वर्ष पूर्व दिन के 12:00 बजे हुई थी जिसमें इस साक्षी की गाडी में बैठे रंजय पाण्डेय के साथ वाद–विवाद हुआ था वाद–विवाद के दौरान रंजय पाण्डेय उस गाडी में बैठे एक उसमें से एक अन्य व्यक्ति धक्का देकर उसके साथ मारपीट किये थे।

उक्त घटना में आई चोटों का ईलाज पहले चेवाडा के सरकारी अस्पताल में हुई तदोपरांत शेखपुरा और उसके बाद जमुई के अस्पताल में हुई थी।

मुख्य परीक्षण में इस साक्षी द्वारा यह तथ्य भी प्रकट किया गया है कि घटना के संबंध में एक बाहरी व्यक्ति से लिखित आवेदन लिखवाया था। जिसपर इस साक्षी का हस्ताक्षर है साक्षी के पहचान पर उसे प्रदर्श–p/1 के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित कराया गया है।

इस साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षण में न्यायालय के समक्ष सभी अभियुक्तों को पहचान करते हुए बताया गया है कि इन्हीं अभियुक्तगण उसके साथ धक्का–मुक्की करके मारपीट किए थे।

परन्तु प्रतिपरीक्षण कंडिका–5 में इस साक्षी द्वारा यह तथ्य प्रकट किया गया है कि सभी अभियुक्तगण उसके गॉव के है और अभियुक्तों ने उसके साथ किसी भी प्रकार के मारपीट नहीं किए थे। सडक पर गिरने के कारण उसके घुटने एवं ललाट पर हल्की–फुल्की चोटे आई

थी। कंडिका–6 में ये साक्षी ने यह भी तथ्य प्रकट किया है कि अभियुक्तों के साथ राजी–खुशी से सुलह–समझौता कर लिया है जिसके कारण वह इस मामले को आगे नहीं चलाना चाहता है। साक्षी के पहचान पर सुलहनामा प्रपत्र पर उसके हस्ताक्षर को अभियुक्तों द्वारा प्रदर्श–D/1 के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित कराया गया है।

इस प्रकार इस साक्षी के सम्पूर्ण न्यायालयीन साक्ष्य के विश्लेषण से यह तथ्य स्पष्ट हो रहा है कि मुख्य परीक्षण में इस साक्षी द्वारा यह तथ्य प्रकट किया गया है कि अभियुक्त रंजय पाण्डेय सहित अन्य अभियुक्तों द्वारा घटना के समय उसके साथ मौखिक वाद–विवाद और धक्का–मुक्की व मारपीट की गई जिसका ईलाज चेवाडा एवं तदोपरांत शेखपुरा उसके बाद जमुई के अस्पतालों में कराया गया।

परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी द्वारा उसे आई चोटों के संबंध में दूसरा तथ्य प्रकट किया गया है कि अभियुक्तों ने उसके साथ किसी भी प्रकार की मारपीट नहीं किया है, बल्कि सडक पर गिर जाने के कारण उसके ललाट एवं घुटने में उसे चोटे आई थी।

इस प्रकार इस साक्षी के न्यायालयीन साक्ष्य से उसके शरीर पर आई कथित चोटों के संबंध में परस्पर विरोधी दो प्रकार की चोटे आई है।

इस साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षण में घटना से अभियुक्तों को संबद्ध करते हुए यह तथ्य प्रकट किया गया है कि अभियुक्तों ने इस साक्षी के साथ धक्का–मुक्की व मारपीट किया था।

परन्तु प्रतिपरीक्षण में इसके ठीक विपरीत इस साक्षी द्वारा स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया है कि अभियुक्तगण उसके साथ मारपीट नहीं किए थे सडक पर गिरने से उसे चोटे आई थी।

इस प्रकार स्पष्ट हो रहा है कि यह साक्षी प्रतिपरीक्षण के दौरान मुख्य परीक्षण में प्रकट किए गए तथ्यों पर कायम नहीं रह सका है और मामले के विभिन्न चरणों में अपने बयानों में बदलाव कर रहा है। ऐसी दशा में इस साक्षी के साक्ष्य विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है और उसे दोषसिद्ध का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता है।

आपराधिक विधि के यह सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि साक्ष्य में परस्पर विरोधी तथ्य आए हो तो उन तथ्यों को वरियाता दी जानी चाहिए जो अभियुक्तों की निर्दोषिता से संबद्ध है।

न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
पीठासीन न्यायाधीश– संतोष कुमार तिवारी
सत्र प्रकरण कमांक-121/2025, सी0आई0एस0 – 121/2025
सी0एन0आर कमांक– : BRSP01-002861-2025

यह साक्षी मुख्य परीक्षण में अभियुक्तों को घटना से संलिप्त करने वाले तथ्यों पर प्रतिपरीक्षण में कायम नहीं रह पाया है, जिसके कारण घटना में अभियुक्तों के संलिप्पता के संबंध में एक संदेहपूर्ण स्थिति हो गई है।

ऐसी दशा में अभियुक्तों को संदेह का लाभ दिया जाना न्यायोचित है। आपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि उचित संदेह का लाभ सदैव अभियुक्त पक्ष दिया जाना चाहिए।

मामले की प्राथमिकी दो दिन के विलंब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

इस प्रकार इस मामले के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध कराए गए साक्ष्य के उपरोक्त विश्लेषण से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅची है कि अभियोजन पक्ष विचाराधीन अभियुक्तों के विरूद्ध आरोपित अपराधों में से किसी भी अपराध को साबित करने में पूर्णतः विफल रहा है।

परिणामस्वरूप उचित संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्तगण दिलखुश पाण्डेय, लवकुश पाण्डेय और रंजय पाण्डेय को आरोपित अपराध धारा–341/34, 323/34, 307/34 एवं 325/34 भा0 द0 सं0 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

सभी दोषमुक्त पूर्व से जमानत पर मुक्त है। दोषमुक्ति के परिणाम स्वरूप उनके जमानत बंध पत्र विखंडित किये जाते हैं और उन्हें तथा उनके जमानतदारों को जमानत बंध पत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

(संतोष कुमार तिवारी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला– शेखपुरा।
दिनांक 03.08.2026

(संतोष कुमार तिवारी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला– शेखपुरा।
दिनांक 03.08.2026

न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
पीठासीन न्यायाधीश– संतोष कुमार तिवारी
सत्र प्रकरण कमांक-121/2025, सी0आई0एस0 – 121/2025
सी0एन0आर कमांक– : BRSP01-002861-2025

FORM-C

अभियोजन / बचाव / न्यायालय साक्षियों की सूची

ए.अभियोजन

क्रम सं0	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, आरक्षी साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अभि0 सा0 सं0 1	मुन्ना सिंह	आहत साक्षी / जख्मी साक्षी / सूचक
अभि0 सा0 सं0 2	सुधा देवी उर्फ सावित्री देवी	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी

बी.बचाव साक्षी, यदि हो तो

कमांक	नाम	(साक्ष्य की प्रकृति)चक्षुदर्शी साक्षी, आरक्षी साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
–	–	–

सी.न्यायालय साक्षी, यदि हो तो

कमांक	नाम	(साक्ष्य की प्रकृति) चक्षुदर्शी साक्षी, आरक्षी साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
–	–	–

अभियोजन / बचाव / न्यायालय प्रदर्शों की सूची

ए.अभियोजन

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	P1/P.W1	प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु थाने में प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट पर सूचक मुन्ना सिंह का हस्ताक्षर

बी. बचाव पक्ष

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	D1/P.W1	समझौता प्रपत्र

न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
पीठासीन न्यायाधीश– संतोष कुमार तिवारी
सत्र प्रकरण कमांक-121/2025, सी0आई0एस0 – 121/2025
सी0एन0आर कमांक– : BRSP01-002861-2025

सी. न्यायालय प्रदर्श

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण (जांच पंचनामा / ज्ञापन, बरामदगी पंचनामा / ज्ञापन, गिरफ्फतारी ज्ञापन, पोस्मार्टम रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट, अन्य साक्ष्य	प्रमाणित / सत्यापित

डी. वस्तु प्रदर्श

कमांक	वस्तु प्रदर्श संख्या	विवरण अपराध का हथियार, आरोपी / पीडित के वस्त्र, मोबाईल फोन / इलेक्ट्रॉनिक वस्तु / वाहन, पर्स / कान की बालियॉं / पहचान पत्र, अन्य वस्तुऍं	प्रमाणित / सत्यापित

लेखापित

संतोष कुमार तिवारी
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेखपुरा
दिनांक–03.08.2026

Date of Judgment/order	03.08.2026
Date of Reserving Judgment/order	20.07.2026
Uploading Date	06.08.2026
Uploaded by	Sangeeta Kumari (steno)